

## —:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे भूखण्ड/रो-हाऊस/दुकान/हॉल आबंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मुझे समझा दी गई है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने वचन देता हूँ/देती हूँ
2. मैं भूखण्ड/रो-हाऊस/दुकान/हॉल का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु करूंगा/करूंगी।
3. निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर यदि प्राधिकरण द्वारा भारित अर्थदण्ड/जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तो उसे भुगतान करने हेतु बाध्य रहूंगा/रहूंगी।
4. मैं प्राधिकरण द्वारा रखरखाव शुल्क, जलकर एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मैं शासन/स्थानीय शासन/नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
6. भूखण्ड हेतु देय राशि का आबंटन आदेश अनुसार दिये गये समय पर भुगतान करूंगा, भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आबंटन निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ना ही किसी न्यायालय में इस संबंध में मेरे द्वारा कोई वाद संस्थित किया जावेगा।
7. मुझे नियम शर्तों की कंडिका क्रमांक 01 से लेकर 06 तक मान्य हैं तथा वह सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पिता/पति .....

पता .....

.....

फोन नं. .... मो.नं. ....

50/- के स्टाम्प पर नोटरी से  
(सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप )